153

समक्ष-माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर, केम्प-सागर

---

1. श्रीमती बृजरानी पत्नी स्व. जमना प्रसाद रोहण

2. शंकर लाल वल्द जमना प्रसाद रोहण

3. कमलेश उर्फ मंणू वल्द जमना प्रसाद रोहण

4. संजय उर्फ संणू वल्द जमना प्रसाद रोहण

सभी निवासी- मछरयाई पंतनगर वार्ड सागर, तह. व जिला सागर

...आवेदकगण/पुनरीक्षणकर्तागण

R-209-III/16

//विरुद्ध//

1. श्रीमती सुहागरानी विधवा दीनदयाल रोहण
2. मुकेश वल्द दीनदयाल रोहण
3. महेश वल्द दीनदयाल रोहण
4. दिनेश वल्द दीनदयाल रोहण

क्र. 1 से 4 निवासी- मछरयाई पंतनगरवार्ड सागर

5. अनिल कुमार वल्द बालकृष्ण गोष्टी

निवासी-दिवालानाकावार्ड सागर

6. ऋषि ना. बा. तनय अजय बली मां रामवती बेवा अजय

7. रोहणी पुत्री गोवर्धन यादव
8. रामवती बेवा गोवर्धन [illegible]

दोनों निवासी-ग्राम नरयावली, तहसील व जिला सागर

...अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू. राजसंहिता

पुनरीक्षणकर्तागण निम्न प्रार्थना करते हैं:-

पुनरीक्षणकर्तागण ने यह पुनरीक्षण माननीय कमिश्नर महोदय सागर संभाग सागर द्वारा अपील प्र.क्र. 179/अ-27 वर्ष 08-09 में पारित आदेश दिनांक 28.11.15 से परिवेदित होकर निम्न आधारों पर प्रस्तुत किया है-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R: 29/II/16 .... जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	बृजरानी कार्यवाही तथा आदेश सुहागरानी	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-3-16	यह निगरानी आयुक्त सागर के प्रकरण क्रमांक 179/अ-27/08-09 में पारित आदेश दिनांक 28-11-15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता को ग्राह्यता पर सुना गया। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 2-3-16 तक का समय चाहा गया था। निश्चित समयावधि में आवेदक अधिवक्ता द्वारा न ही लिखित तर्क प्रस्तुत किया और न ही अभिलेख की प्रतियां। प्रकरण में निर्णय निगरानी मेमो के आधार पर लिया जा रहा है। अना॰ केविएट कर्ता के अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा केविएट आवेदन के आधार पर निर्णय किए जाने का अनुरोध किया गया। निगरानी आवेदन मे अंकित तथ्यों के संदर्भ में प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 28-11-15 का परिशीलन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रकरण में मुख्य विवाद बटवारे के संबंध में है। उपस्थित विवाद के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा न तो लिखित तर्क ही प्रस्तुत किए गये और न ही अपने पक्ष समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत किया गया जो निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं की पुष्टि करते। आवेदक अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई आधार भी प्रस्तुत नहीं किया गया जो आयुक्त के आक्षेपित आदेश मे निकाले गये निष्कर्षों को गलत	

R. 29/11/16 क्रमशः

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
पूर्वानी	सुनवानी	
	करते। प्रकरण में आक्षेपित आदेश दिनांक 28.11.15 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आयुक्त द्वारा अपने आदेश में विवादित भूमि के संबंध में विश्लेषण करते हुए स्पष्ट एवं विस्तृत तथा बोलता हुआ निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए सकारण वैधानिक आदेश पारित किया गया है, जो सारवान होने से स्थिर रखा जाता है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा०रि० हो। सदस्य	

शाक्षेमुम्बा—355—फॉर्म I—3-2-16—30,000 प्रपत्र.